न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 70/2016 G.C.M.S. No. 2016/331 दर्ज दिनांक : 15.09.2016

अपीलार्थिगण:

1. देवी सिंह पुत्र सरदार सिंह
2. रूप सिंह पुत्र सरदार सिंह के कायम मुकाम:–

   2/1. सोरम कंवर पत्नी रूप सिंह

   2/2. महेन्द्र सिह पुत्र रूप सिंह

   2/3. जेतमाल सिंह पुत्र रूप सिंह

   2/4. विक्रम सिंह पुत्र रूप सिंह

   2/5. प्रवीण सिंह पुत्र रूप सिंह

   2/6. रेशमी कंवर पुत्री रूप सिंह पत्नी प्रकाश सिह जाति राजपुत निवासी पोषाणा, तहसील सायला, जिला जालोर
3. हडमत सिह पुत्र मोहब्बत सिंह
4. जोरावर सिह पुत्र मोहब्बत सिंह जातियान राजपूत निवासी भागलसेफ्टा तहसील भीनमाल जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. जबर सिह पुत्र चिमन सिंह
2. शैतान सिंह पुत्र चिमन सिंह
3. परबत सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह
4. दुर्जन सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह
5. राण सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह
6. हरी सिंह पुत्र मोहब्बत सिंह
7. हस्तु बेवा मोहब्बत सिंह जाति राजपुत निवासी भागलसेफ्टा तहसील भीनमाल जिला जालोर
8. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार महोदय भीनमाल
9. शाखा प्रबन्धक ग्रामीण बैंक शाखा दासपा तहसील भीनमाल जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2016 बअनवान देवी सिंह बनाम जबर सिंह में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016

पैरोकार:–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

2. श्री तेज सिंह बालावत, जगदीश गोदारा विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2016 बउनंवान देवी सिंह बनाम जबर सिंह में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

सरहद मौजा भागलसेफ्टा में अपीलांटस संख्या 01 व 02 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 397 व 398 आई हुई एवं अपीलांट संख्या 3 व 4, 6 से 10 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 41, 411, 412, 414 व 415 आई हुई है तथा अपीलांट को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 397 व 414 में कृषि उपकरण ले जाने हेतू खसरा संख्या 418 उतरी माठ से 12 फीट चोड़ा रास्ता मौके पर आपसी समझाईस से चल रहा है जो खसरा नम्बर 414 की पूर्वी माठ से होता हुआ खसरा संख्या 397 तक जाता है रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 उक्त रास्ते को भी जबरन बन्द करने पर आमादा है तथा आपसी बातचीत के माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 रास्ता देने हेतू तैयार नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तहसीलदार से प्राप्त कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया कि अपीलांट को आत्यतिक आवश्यकता नहीं है। तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट बाकर प्रस्तुत की गई है उसके साथ कोई नक्शा पेश नहीं किया गया है तथा यह अंकित किया है कि खसरा संख्या 408, 418, 419 के बीच में से खसरा संख्या 427 गैर मुमकिन रास्ता का खसरा नम्बर स्थित है। जिसका रास्ते के रूप में उपयोग करने से जबर सिंह द्वारा बताया गया कि अउसकी फसल एवं एकरूपता को बाधित करता है तथा पूर्ण रूप से रखवाली नहीं की जा सकती इस कारण खसरा नम्बर 1137/408 व 1136/407 में से आवागमन किया जा सकता है परन्तु उक्त खसरा संख्या 410 पर आकर बन्द हो जाता है एवं अपीलांट को अपनी भूमि खसरा नम्बर 414 व 397 में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होता है इस कारण खसरा नम्बर 408 व 409 की पश्चिमी माठ से खसरा संख्या 418, 411 व उतरी 141 व पूर्वी माठ से मांग की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। तहसीलदार द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें खसरा नम्बर 407 के पूर्वी कोने पर जो ढाणी स्थित है उसका उल्लेख तक नहीं किया गया है जिससे भी प्रकट है कि तहसीलदार महोदय द्वारा मौके की सही तरीके से आंकलन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने की भूल की है कि अपीलांट के पास अपनी कृषि भूमियों में जाने के लिए खसरा संख्या 408 के पूर्वी माठ पर खसरा संख्या 1137/408 निकटतम रास्ता उपलब्ध है जबक उक्त रास्ते से खसरा संख्या 410 में जाने के लिए खसरा संख्या 407 के दक्षिणी माठ से गुजरना पडता है जहा पर दक्षिणी पूर्वी कोने पर मौके पर खातेदार की ढाणी निर्मित है तथा यह रास्ता अपेक्षाग्रत अधिक लम्बा हो जबकि खसरा संख्या 408 के पश्चिमी माठ से लगे रास्ते से जो रास्ता परिशिष्ट अ में दर्शितानुसार ए से बी व सी से डी को दिलाया जाता है तो वह अधिक निकट व उपयोगी है जिसमें रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 05 की मात्र खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

418 की भूमि ही आती है उससे आगे अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 से 10 की कृषि भूमि शुरू हो जाती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251'क' स्वीकार किया जावे एवं उन्हे अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 414 व 379 में प्रवेश करने के लिए खसरा संख्या 418 के उतरी माठ एवं खसरा संख्या 408 के पश्चिमी माठ से होता हुआ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शित ए से बी व सी से डी खसरा संख्या 418 के उतरी माठ खसरा संख्या 414 के पूर्वी माठ से 30 फीट चौड़ा रास्ता रेस्पोडेन्ट को प्रतिकर दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने सरहद मौजा ग्राम भागलसेफ्टा तहसील भीनमाल के नए खसरा संख्या 397 रकबा 1.45 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398 रकबा 1.85 हैक्टेयर किस्म बारानी की भूमि में आने-जाने हेतु रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 31.08.2016 द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।

2. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि खसरा संख्या 398 में प्रार्थी संख्या 1 व 2 की रहवासिया ढाणी बनी हुयी है तथा संख्या 3 व 4, अप्रार्थी संख्या 06 से 10 की खातेदारी कब्जा काश्त आराजी खसरा संख्या 410, 411, 412, 414 है। प्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता सरदार सिंह, अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पिता व 05 के पति चिमन सिंह दोनो सगे भाई थे। प्रार्थी संख्या 01 व 02 की आराजी खसरा संख्या 397 व 398 व अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की आराजी खसरा संख्या 408, 409, 418, 419 सयुक्त खातेदारी की आराजी थी। खसरा संख्या 397 व 398 में आने जाने के लिए अप्रार्थी के पिता के जीवनकाल में आपसी सहमति से खसरा संख्या 427 गै.मु. रास्ते में से खसरा संख्या 418 के अन्दर उतरी माठ पर तथा खसरा संख्या 414 के पूर्वी माठ पर संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाये अनुसार ए से बी व सी से डी रास्ता रखा गया था। जो कि प्रार्थी की आराजी के पहुच के लिए निकटतम दुरी का रास्ता है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। जो कि मौके पर अत्यन्त संकरा कर दिया गया है। जिसे आमने-सामने आवागमन संभव नहीं है। अतः नक्शा परिशिष्ट अ में दर्शाये अनुसार 30 फिट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

3. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीनमाल से रिपोर्ट तलब की गयी जो तहसीलदार भीनमाल द्वारा दिनांक 23.07.2016 को तैयार की गयी।
4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं होने, खसरा संख्या 408 के पूर्वी लोर से होता हुआ खसरा संख्या 407 के दक्षिणी लोर होता हुआ, खसरा संख्या 410, 411, 414 में से होकर खसरा संख्या 397 तक रास्ता चलायमान है। रास्ते का अभाव सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।
5. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गयी एवं न ही प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का स्पष्ट आधार अंकित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए कथनो के संबंध में कोई जांच प्रतिवेदन तलब किए बिना एवं न ही स्वयं द्वारा कोई जांच किए बिना, उक्त कथनो पर विश्वास करते हुए प्रार्थी की आराजी तक पहुच मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं होना साबित मान लिया गया। जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है।
6. यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 251क के अन्तर्गत न केवल नवीन मार्ग स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है बल्कि पूर्व से चलायमान/स्वीकृत मार्ग को भी अधिकतम 30 फिट की चौड़ाई तक स्वीकृत किए जाने का विधिक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई विवेचन किए बिना प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी, भीनमाल द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2016 बउनवान देवी सिंह बनाम जबर सिंह में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 को अपास्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि भू-अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं अप्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रावधानो सहित) का भलीभांति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीनमाल में उपस्थित रहें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली